कार्यालय जनपद न्यायाधीश, प्रतापगढ़

विज्ञप्ति

दीवानी न्यायालय प्रतापगढ़ में फोटो स्टेट शॉप की नीलामी दिनांक 16.03.2020 को समय अपरान्ह 3 बजे दीवानी न्यायालय प्रांगण में अध्यक्ष नीलामी समिति के समक्ष होगी :—

फोटो स्टेट शाप

इच्छुक लोग जो नीलामी में बोली बोलना चाहते हों वह निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित हो कर नीलामी की प्रकिया में भाग ले सकते हैं।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. उक्त फोटो स्टेट शॉप की नीलामी दिनांक 01.04.2020 से दिनाक 31.03.2021 तक की अवधि के लिये होगा, जिसमें न्यूनतम बोली मु0 60,500/— से प्रारम्भ होगी।

2. नीलामी में वही लोग भाग ले सकते हैं जो नीलाम होने के पूर्व नजारत में फोटो स्टेट शाप के लिए पांच—पांच हजार रूपया जमानत के रूप में जमा करेंगे।

3. जिस व्यक्ति के नाम नीलामी समाप्ति होगी यदि वह नीलामी नहीं लेता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

4. वोली समाप्त होने पर सर्वाधिक बोली की 1/4 धनराशि तुरंत जमा करनी होगी। शेष धनराशि तीन समान किस्तों में जमा करनी होगी, जो क्रमशः माह जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के प्रथम सप्ताह में देय होगी एवं किस्तों का समय पर भुगतान न होने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी। जमा की गयी जमानत धनराशि को अंतिम किस्त में समायोजित किया जायेगा।

5. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को यह प्रतिबन्ध होगा कि वह फोटो स्टेट शॉप को किसी अन्य को हस्तान्तरित नही करेगा।
6. फोटो स्टेट शॉप में फोटो स्टेट के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नही करेगा।
7. नीलामी लेने को उपर्युक्त नियम एवं शर्तो के अनुसार एक एग्रीमेण्ट बांड दुकान चलाने के पूर्व उसको नजारत में जमा करना होगा।

8. माननीय जिला जज, प्रतापगढ उचित वोली न होने पर नीलाम की तिथि बढा सकते हैं।

9. माननीय जिला जज, प्रतापगढ नीलाम को बिना कारण बताये हुये रदद कर सकते हैं या कोई अन्य आदेश पारित कर सकते हैं।

10. दूकान खोलने वाले व्यक्ति को फूस का छप्पर नहीं रखने दिया जायेगा, वल्कि वह टीन का शेड लगा सकता है जिसके लिये माननीय जिला जज स्थान निश्चित करेंगे। नीलाम अवधि की समाप्ति पर दूकानदार को शेड इत्यादि तत्काल हटाना होगा।

11. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को अपने यहां किसी भी प्रकार के बाहरी व्यक्तियों को वैठाना व रखना कार्यालय समय के उपरांत वर्जित होगा।

5/3/20

(जय प्रकाश पाण्डेय)
प्रभारी अधिकारी नीलामी कमेटी